आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

28/04/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-90/2024-25

1. छोटे लाल उराँव,
2. प्रकाश उराँव,
3. मोहन उराँव, ...आवेदकगण।

बनाम्

प्रवीण अग्रवाल .... विपक्षी।

आदेश

आवेदकगण (1) छोटे लाल उराँव (2) प्रकाश उराँव (3) मोहन उराँव तीनों के पिता–सुकरा उराँव सभी निवासी ग्राम–काँके रोड, नगड़ी पोस्ट–काँके, थाना–काँके, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षी प्रवीण अग्रवाल, पिता–स्व० विशम्बर दयाल अग्रवाल निवासी ग्राम–लक्ष्मी निवास के सामने, काँके रोड, थाना–काँके, जिला–राँची के द्वारा छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
बुकरू	54	152	178	55.46 डीं०

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि के रिवीजनल सर्वे खतियान में खतियानी रैयत परतो उराँव वो शनिचरवा उराँव वो एतवा उराँव पेशरान मनु उराँव का नाम दर्ज है। आवेदकगण ने अपने शपथ पत्र के साथ वंशावली दाखिल किये है, इसमें कहते हैं कि परतो उराँव अपने पीछे लेदा उराँव, नेगवा उराँव (नावल्द) और बिरसा उराँव को छोड़ गये। लेदा उराँव अपने पीछे सुकरा उराँव को छोड़ गये एवं सुकरा उराँव अपने पीछे छोटे लाल उराँव (आवेदक) मोहन उराँव (आवेदक) एवं प्रकाश उराँव (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदकगण का कहना है कि वर्णित भूमि को विपक्षी द्वारा भूमि को जबरन छल–प्रपंच कर हड़प लिए है। कृ०पृ०उल्टे

28/4/25

28/4/25

आवेदकगण छोटे लाल उराँव, मोहन उराँव एवं प्रकाश उराँव खतियानी रैयत के वंशज है विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से ज़बरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारणपृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए।

आवेदकगण खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है, खतियान में परतो उराँव वो शनिचरवा उराँव वो एतवा उराँव पेशरान मनु उराँव कायमी नाम दर्ज है, तथा लगान पानेवाला का नाम जोधन राम तिवारी है तथा खेवट नं०–03 है। आवेदकगण की ओर से पंचायत के मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली दाखिल किया गया है। इसमें परतो उराँव अपने पीछे लेदा उराँव, नेगवा उराँव (नावल्द) तथा बिरसा उराँव को छोड़ गये। लेदा उराँव अपने पीछे सुकरा उराँव को छोड़ गये एवं सुकरा उराँव अपने पीछे छोटे लाल उराँव (आवेदक) मोहन उराँव एवं प्रकाश उराँव (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदकगण खतियानी रैयत हैं तथा अंचल के पंजी–II में परतो उराँव नाम दर्ज है। आवेदकगण की ओर से खतियान की छायाप्रति और अंचल रसीद की छायाप्रति दाखिल की है। यह वाद पोषणीय है, इसलिए एस वाद की सुनवाई आगे की जानी चाहिए।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया, इसमें कहते हैं कि यह वाद गलत तरीके से एवं 30 वर्षो के बाद लाया गया है, जिस कारण यह वाद कालबधित एवं पोषणीय नहीं है, इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए। आगे कहते हैं कि वर्णित भूमि के खतियानी रैयत परतो उराँव वो शनिचरवा उराँव वो एतवा उराँव पेशरान मनु उराँव का नाम दर्ज है, और लगान पानेवाले का नाम जोधन राम तिवारी है। जोधन राम तिवारी का खेवट 03 के नाम से बना है। खेवटदार जोधन राम तिवारी ने वर्णित भूमि को 1946 ई० में लाला साहू को सादा हुकुमनामा से 01 एकड़ 0.5 डिसमिल बन्दोबस्त कर दिये थे, तथा दखल–कब्जा भी दिए थे। लाला साहू जोधन राम तिवारी को लगान भी देने लगे थे। साथ में लाला साहू का नाम पंजी सं०–II में दर्ज है,

28/4/25

कृ०पृ०उल्टे

28/4/25

जिसका वॉल्यूम सं०–02, पृष्ठ सं०–60 के पंजी सं०–II काँके अंचल, राँची में दर्ज है। जोधन राम तिवारी ने 01 एकड़ 0.5 डिसमिल जमीन को जगेश्वर मणि मिश्रा को सादा हुकुमनामा से 1946 ई० में दे दिया। जगेश्वर मणि मिश्रा ने जमींदार को मालगुजारी देने लगे साथ में काँके अंचल में अपना पंजी सं०–II में नाम दर्ज करवाये, जिसका वॉल्यूम सं०–02, पृष्ठ सं०–58 के पंजी सं०–II काँके अंचल, राँची में दर्ज है। जगेश्वर मणि मिश्रा की मृत्यु हो गयी वे अपने पीछे मनोज मिश्रा, मुकेश मिश्रा और संजय मिश्रा को छोड़ गये। ये सभी लोग वर्णित भूमि के मालिक हुए तथा दखल–कब्जा के साथ रहने लगे। मनोज मिश्रा, मुकेश मिश्रा और संजय मिश्रा सभी के पिता–जगेश्वर मणि मिश्रा ने मौजा–बुकरू, आर०एस० खाता सं०–152, प्लॉट सं०–178, कुल रकवा–01.05 एकड़ भूमि शरफुद्दीन को निबंधित पट्टा से बेच दिए, जिसका पट्टा सं०–19688 क्रम सं०–22688 दिनांक–17.08.2011 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। जिसका बुक नं०–1, वॉल्यूम सं०–875, पृष्ठ सं०–585 से 628, एवं वर्ष–2011 है, इसके पश्चात् वे दखल–कब्जा के साथ रहने लगे। लाला साहू की मृत्यु हो गयी, लाला साहू अपने पीछे मोहन साहू, शंकर साहू, अरूण साहू, परमेश्वर साहू और विनोद साहू को छोड़ गये तथा वे दखल–कब्जा के साथ वर्णित भूमि पर मालिकाना हक के साथ रहने लगे। इसके बाद सुकरा उराँव ने एक टाईटल सूट व्यवहार न्यायालय, राँची में सब–जज श्री वी० अनिल कुमार सिंह के न्यायालय में वाद दायर किए, जो सुकरा उराँव बनाम् शंकर साहू है, दिनांक–25.01.2007 को शंकर साहु के पक्ष में आदेश दिया। इसके बाद मोहन साहू, शंकर साहू, अरूण साहू, परमेश्वर साहू और विनोद साहू ने वर्णित भूमि को कुल रकवा–1.05 एकड़ जमीन को शरफुद्दीन को निबंधित पट्टा से बेच दिए। जिसका पट्टा सं०–19690 क्रम सं०–22690, दिनांक–17.08.2011 को निबंधित पट्टा से बेच दिए, जिसका बुक सं०–1, वॉल्यूम सं०–876, पृष्ठ सं०–25 से 72 एवं वर्ष–2011 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। इसके बाद शरफुद्दीन ने काँके अंचल, राँची में अपने नाम पर दाखिल–खारिज

28/4/25

कृ०पृ०उल्टे

28/4/25

करा लिए, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं०–5434 R.27/2015–16 है। दाखिल–खारिज के पश्चात् पंजी सं०–II के वाल्यूम सं०–10, पृष्ठ सं०–61 में नाम दर्ज है। शरफुद्दीन की मृत्यु के पश्चात् इनके वारिसान पत्नी रजिया परवीन, पुत्र आशिफ इकबाल और मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम और फतिमा तबस्सुम वर्णित भूमि के मालिक हुए और दखल–कब्जा के साथ रहने लगें। इनलोगों ने वर्णित भूमि की 20 डिसमिल जमीन को कुसूम सिंह, पति–उज्जवल कुमार सिंह को निबंधित पट्टा से बेच दिया, जिसका पट्टा सं०–8733 दिनांक–26.10.2018 है। इसके बाद पत्नी रजिया परवीन ने पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री फतिमा तबस्सुम ने भूमि को एक निबंधित मुख्तारनामा द्वारा समीर वालिया, पिता–सरनजीत सिंह एवं विकास कुमार गोराई, पिता–दशरथ गोराई को दिए। जिसका मुख्तारनामा सं०–90, क्रम सं०–517, बुक सं०–4 वॉल्यूम सं०–07, पृष्ठ सं०–359 से 482 एवं दिनांक–06.02.2017 है। इनलोगों ने मुख्तारनामा के माध्यम से कुसूम सिंह, पति–उज्जवल कुमार सिंह को निंबंधित पट्टा से बेच दिया, जिसका बुक सं०–01, वॉल्यूम सं०–613, पृष्ठ सं०–323 से 383, पट्टा सं–5874, दिनांक–17.10.2017 जो अवर निबंधक कार्यालय में निबंधित है। पुनः रजिया परवीन, पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम वर्णित भूमि के खेवट नं०–03 के 20 डिसमिल जमीन को डौली सिंह, पति–रामनारायण सिंह को निबंधित पट्टा से बेच दिया। जिसका डीड सं०–8734 क्रम सं०–9751, दिनांक–26.10.2018 को बेच दिया, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है और रजिया परवीन पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने पुनः वर्णित भूमि को रवि कुमार सिंह को बेच दिया। जिसका डीड सं०–8777, दिनांक–27.10.2018 है। इसके अलावा और रजिया परवीन पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने किशन देव नारायण सिंह, पिता–सुर्यदेव सिंह को वर्णित भूमि से कुछ जमीन को बेच दिया। जिसका डीड सं०–8730 दिनांक–26.10.2018 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है।

28/4/25

कृ०पृ०उल्टे

28|4|25

रजिया परवीन पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने सुर्यदेव सिंह, पिता—स्व० बैजनाथ सिंह को 20 डिसमिल जमीन वर्णित भूमि को बेच दिया। जिसका डीड सं०—8763 दिनांक—27.10.2018 है, अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। जमीन खरीदने के पश्चात् सुर्यदेव सिंह दखल—कब्जा के साथ रहने लगे। इसके बाद रजिया परवीन पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री फतिमा तबस्सुम ने एक निबंधित मुख्तारनामा समीर वालिया, पिता—सरनजीत सिंह और विकास कुमार गोराई, पिता—दशरथ गोराई को दिए। इनलोगों ने पुष्पा देवी, पति—कुमार सिंह को निबंधित पट्टा से बेच दिए। जिसका डीड नं०—6120, दिनांक—02.11.2017 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। यह सभी जमीन खेवट सं०—03 की है, जिसपर खरीद—बिक्री हो रहा है। इसके बाद वर्णित भूमि में से आशिफ इकबाल ने 25 डिसमिल जमीन को श्री प्रमोद कुमार केसरी, पिता—श्री केदार प्रसाद केसरी और श्रीमती सीता कुमारी, पिता—सुर्यभान प्रसाद को एक निबंधित पट्टा से दिनांक—13.04.2017 को बेच दिए, जिसका डीड सं०—1697 है, जो अवर निबंधक कार्यालय, राँची में निबंधित है। इसके बाद श्री प्रमोद कुमार केसरी, और श्रीमती सीता कुमारी ने काँके अंचल, राँची में अपने नाम पर वर्णित भूमि जो खेवट सं०—03 से संबंधित है। इसके बाद वर्णित भूमि से ही जमीन को कुसुम सिंह, डौली सिंह, रवि कुमार सिंह, कृष्णदेव नारायण सिंह, सुर्यदेव सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी ने एक निबंधित मुख्तारनामा सिमरनजी सिंह मुंजाल, पिता—स्व० गुरूबक्स सिंह मुंजाल को दिनांक—05.03.2021 को दिए, जिसका बुक नं—IV, वॉल्यूम नं०—20 पृष्ठ सं०—111 से 202 मुख्तारनामा नं०—190, क्रम सं०—1746 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। और श्री प्रमोद कुमार केसरी एवं श्रीमती सीता कुमारी ने अपना मुख्तारनामा सिमरनजी सिंह मुंजाल, पिता—स्व० गुरूबक्स सिंह मुंजाल को दिया जिसका बुक नं०—4, वॉल्यूम सं०—1, पृष्ठ सं०—1 से 38, डीड नं०—845, क्रम सं०—2021, दिनांक—26.07.2021 जो अवर निबंधन कार्यालय, नगर उटारी में निबंधित है।

28|4|25

कृ०पृ०उल्टे

28/4/25

श्री प्रमोद कुमार केसरी, पिता–श्री केदार प्रसाद केसरी और श्रीमती सीता कुमारी, पिता–सुर्यभान प्रसाद ने निबंधित मुख्तारनामा होल्डर सिमरनजी सिंह मुंजाल, पिता–स्व० गुरूबक्स सिंह मुंजाल मुख्तारनामा होल्डरो ने प्रवीण अग्रवाल, पिता–स्व० विशम्बर दयाल अग्रवाल को निबंधित पट्टा से बेच दिया। जिसका मौजा–बुकरू, थाना नं०–54, खाता सं०–152, प्लॉट सं०–178/भाग, कुल रकवा–55.46 डिसमिल है1 जिसका निबंधित दस्तावेज सं०–2021/RAN/9977/BK1/8964 IN Book No-BK 1 volume no. 1204, page No. 59 to 494 at office SRO Ranchi दिनांक–14.12.2021 जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। इसके बाद विपक्षी श्री प्रवीण अग्रवाल लगातार दखल–कब्जा के साथ निवास कर रहें हैं तथा काँके अंचल, राँची में अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवाये है, जिसका दाखिल–खारिज वाद संख्या–8316 R 27/2023–24 है, स्वीकृति के पश्चात् अपने नामपर लगातार काँके अंचल, राँची में मालगुजारी देते आ रहें है। और पंजी–II में प्रवीण अग्रवाल का नाम दर्ज है, जिसका वॉल्यूम नं०–12, पृष्ठ सं०–25 दर्ज है। आगे कहते हैं कि आवेदकगण का वर्णित भूमि पर 1946 से अर्थात लगभग 78 वर्षो से न तो दखल–कब्जा है और न ही खेतीबाड़ी कर रहे है। इसलिए यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है तथा धारा–46 का उल्लघंन भी नहीं हुआ है।. चूँकि वर्णित भूमि पर विपक्षी घर–मकान बना कर रह रहें हैं तथा यह भूमि छप्परबंदी है और 78 वर्षो से आवेदक खेती–बाड़ी नही कर रहे हैं। इसलिए यह वाद कालबाधित है तथा पोषणीय नहीं है। अतः इस वाद को खारिज किया जाए। विपक्षी की ओर से निबंधित पट्टा की छायाप्रति तथा अंचल रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है। इस संबंध में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विभिन्न न्यायालयों को हवाला दिये है, जो इस प्रकार है:–

a. **2001(1) JCR 229 (SC): (2000) 5 SCC 141 " Jai Mangal Oraon Vs. Smt. Mira Nayak and others (Supreme Court);"** " on the Point of **Limitations."**

28/4/25

28/4/25

b. 1992 (2) BLJR 986 " **Bukan Ansari and other Vs. State of Bihar"** on the point of **Limitations."**

c. **"Mansa Ram Manjhi Vs State of Jharkhand"** and ruling reported in on the point of **Limitation.**

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहते हैं कि उक्त जमीन को विपक्षी ने छल–प्रपंच कर हड़प लिए हैं। खतियान में परतो उराँव शनिचरवा उराँव एवं एतवा उराँव का नाम दर्ज है। आगे कहते हैं कि खेवटदार जोधन राम तिवारी ने 1946 ई० में भूमि को हुकुमनामा से लाला साहू को दे दिये है। आवेदक की पैतृक संपत्ति है, जो आदिवासी खाते की है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहते हैं कि वर्णित भूमि को जोधन राम तिवारी ने 01 एकड़ डेढ़ डिसमिल को हुकुमनामा से 1946 ई० दखल–कब्जा के साथ दे दिया। लाला साहू ने काँके अंचल, राँची मे दाखिल–खारिज करवाकर अपने नाम पर मालगुजारी देने लगे, जिसका वॉल्यूम–02, पृष्ठ सं०–60 है। आगे कहते है कि जोधन राम तिवारी ने जगेश्वर मणि मिश्रा को 01 एकड़ डेढ़ डिसमिल को पुनः 1496 ई० दखल–कब्जा के साथ रहने लगे। फिर लाला साहू ने मालगुजारी काँके अंचल में देने लगे। जिसका वॉल्यूम–02, पृष्ठ सं०–60 है। जगेश्वर मणि मिश्रा ने अपने नाम पर काँके अंचल में दर्ज करवाये, जिसका वॉल्यूम–02, पृष्ठ सं०–58 है। जगेश्वर मणि मिश्रा की मृत्यु हो गयी यह अपने पीछे मनोज मिश्रा, मुकेश मिश्रा और संजय मिश्रा को छोड़ गये। इन्होंने भी 01 एकड़ डेढ़ डिसमिल जमीन को शरफुद्दीन को बेच दिया। जिसका डीड–19688, दिनांक–17.08.2011 है। इसके बाद सुकरा उराँव ने व्यवहार न्यायालय, राँची में एक टाईटल सूट वाद दायर किया जिसका वाद सं०–38/2001 है। जिसमें दिनांक–25.01.2007 को शंकर साहू के पक्ष में आदेश पारित हुआ। इसके पश्चात् मोहन साहू, शंकर साहू, अरूण साहू, परमेश्वर साहू और विनोद साहू ने शरफुद्दीन को 01 एकड़ डेढ़ डिसमिल

28/4/25

कृ०पृ०उल्टे

28/4/25 जमीन निबंधित पट्टा से बेच दिया, जिसका पट्टा सं०–19690, दिनांक–17.08.2011 है। इन्होंने अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवा लिया, जिसका दाखिल खारिज वाद सं०–5434 आर 27/2015–16 है, इनका नाम पंजी–2 में दर्ज है। जिसका वॉल्यूम नं०–10, पृष्ठ नं०–61 काँके अंचल, राँची में दर्ज है। शरफुद्दिन की मृत्यु के पश्चात् इनके वारिसान पत्नी रजिया परवीन, पुत्र आशिफ इकबाल और मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम वर्णित भूमि के मालिक हुए। इन्होंने भूमि को कुसुम सिंह, पति–उज्जवल कुमार सिंह को निबंधित पट्टा से बेच दिए जिसका पट्टा सं०–8733, दिनांक–26.10.2018 है। तत्पश्चात् शेष जमीन को रजिया परवीन, पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने एक निबंधित मुख्तारनामा के माध्यम से समीर वालिया एंव विकास कुमार गोराई को दिए। जिसका डीड सं०–90, दिनांक–06.02.2017 है। मुख्तारनामा धारक समीर वालिया एंव विकास कुमार गोराई ने कुसुम सिंह, पति–उज्जवल कुमार सिंह को निबंधित पट्टा से वर्णित भूमि को बेच दिया, जिसका पट्टा–5874, दिनांक–17.10.2017 है। पुनः शेष जमीन को रजिया परवीन, पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने पुनः खेवट सं०–03 के जमीन को डौली सिंह को बेच दिए, जिसका पट्टा सं०–8734 दिनांक–26.10.2018 है। इस जमीन को रजिया परवीन, पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने पुनः रवि कुमार सिंह को वर्णित जमीन के कुछ हिस्से को बेचा जिसका डीड सं०–8777, दिनांक–27.10.2018 है। पुनः रजिया परवीन, पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने किशोर नारायण सिंह को जमीन बेच दिया, जिसका डीड सं०–8730 दिनांक–26.10.2018 है। पुनः रजिया परवीन, पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने सुर्यदेव सिंह को जमीन बेच दिया जिसका डीड सं०–8763 दिनांक–27.10.2018 है। रजिया परवीन, पुत्र मो० शाहरूख एवं पुत्री सोफिया तबस्सुम, फतिमा तबस्सुम ने एक निबंधित मुख्तारनामा समीर वालिया और विकास कुमार गोराई को दिए इनलोगों ने पुष्पा देवी को इस मुख्तारनामा के आधार पर जमीन को बेच दिए,

Mi 28/4/25

28/4/25 जिसका डीड सं०—6120 दिनांक—02.11.2017 है। आसिफ इकबाल ने भी वर्णित भूमि में से 25 डिसमिल जमीन को श्री प्रमोद कुमार केसरी, एवं श्रीमती सीता कुमारी को निबंधित पट्टा से बेच दिए, जिसका डीड सं०—1697, दिनांक—13.04.2017 है। जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। पुनः कुसुम सिंह, डॉली सिंह रवि कुमार सिंह, कृष्णदेव नारायण सिंह, सुर्यदेव सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी ने एक निबंधित मुख्तारनामा सिमरनजी सिंह मुजांल को दिए। जिसका मुख्तारनामा डीड सं०—190 दिनांक—05.03.2021 है। बुक—IV, वॉल्यूम—20, पृष्ठ सं०—111 से 202 है। एक ओर निबंधित मुख्तारनामा श्री प्रमोद कुमार केसरी एवं श्रीमती सीता कुमारी ने भी सिमरनजी सिंह मुंजाल को दिए। जिसका मुख्तारनामा डीड सं०—845, दिनांक—26.07.2021 है; जो अवर निबंधक कार्यालय, राँची में निबंधित है। बुक नं०—04, वॉल्यूम—01, पृष्ठ नं०—01 से 38 है। इन सभी मुख्तारनामा गृहिता ने श्री प्रवीण अग्रवाल (विपक्षी) को वर्णित भूमि में जिसका खाता नं०—152, प्लॉट सं०—178/भाग, मौजा—बुकरू थाना नं०—54 कुल रकवा—55.46 डिसमिल जमीन निबंधित पट्टा से बेच दिए। जिसका बुक नं—01, वाल्यूम सं०—1204, पृष्ठ सं०—59 से 494, डीड सं०—8964, क्रम सं०—9977 दिनांक—14.12.2021 है। जो अवर निबंधक कार्यालय, राँची में निबंधित है। इसके बाद विपक्षी प्रवीण अग्रवाल दखल कब्जा के साथ चाहरदिवारी के अन्दर घर मकान बनाकर निवास करने लगे और अपने नांम पर काँके अंचल, राँची में दाखिल—खारिंज करवा लिए, जिसका दाखिंल खारिज वाद सं०—8316 R 27/2023—24 है। उनका नाम पंजी—2 के वाल्यूम सं०—12, पृष्ठ सं०—25 में दर्ज है। तथा लगातार अंचल में लगान दे कर रसींद कटवा रहें हैं। इसलिए विपक्षी वर्णित भूमि का मालिक है। आगे कहते हैं कि आवेदक द्वारा लाया गया वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है तथा आवेदक का वर्णित भूमि पर 1946 से ही दखल—कब्जा नहीं है और न ही खेती—बाड़ी हो रही है। इसलिए यह भूमि कृषि योग्य नहीं है।यह वाद 30 वर्षो बाद लाया गया हैं, इसलिए यह वाद कालबाधित है साथ ही पोषणीय नहीं है।

28/4/25

कृ०पृ०उल्टे

28/4/25

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने तथा लिखित बहस और दाखिल कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि वर्णित भूमि विभिन्न निबंधित पट्टा से बिकते आ रहा है। यह वाद 30 वर्षो के बाद लाया गया है, जो कालबाधित है तथा वर्णित भूमि कृषि योग्य नहीं है। यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के तहत् पोषणीय नहीं है। अतः आवेदकगण के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कारवाई समाप्त की जांती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/4/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

28/4/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.06.04 16:54:10 +05:30
Location: 192.168.164.39